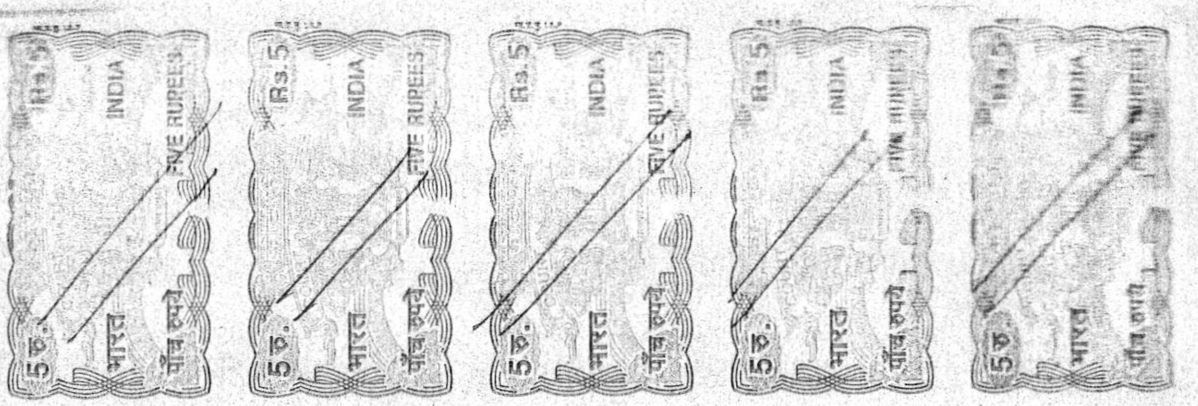

न्यायालय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2015 अपील / 3538-III-15 (81)

भवानीसिंह शेखावत आत्मज स्व0 श्री गजानन्दसिंह
महामंत्री, ग्रेसिम क्रान्तिकारी कर्मचारी यूनियन नागदा
निवासी: 5/1 बी.सी.आई. स्टाफ कालोनी बिरलाग्राम
नागदा, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश......................अपीलार्थी

20/10/15

भवानी सिंह शेखावत

विरूद्ध

1. ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बिरलाग्राम नागदा
द्वारा, सावरमल जालवाल सहायक महाप्रबंधक विधि,
बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा, कलेक्टर जिला उज्जैन
मध्यप्रदेश

3. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल उज्जैन ....अनावेदकगण

द्वितीयअपील अन्तगर्त धारा 44 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता आलोच्य आदेश दिनांक 20/07/2015 जो विद्वान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक–2/अपील/2014–15 में पारित किया गया एवं प्रकरण क्रमांक 1/अ–39/2013–2014 में पारित आदेश दिनांक 17/09/2014 निरस्त कर दिया गया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 3538—तीन / 15 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10—1—2018	प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अध्ययन किया गया । प्रत्यर्थी कमांक 1 ग्रेसिम इंडस्ट्रील की ओर से Comp. Pettition No. 12 / 2004 में पारित आदेश दिनांक 18—4—2016 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—7—2015 का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं । वहीं अपीलार्थी शासन की ओर से कम्पनी अपील नम्बर 03 / 2016 में माननीय उच्च न्यायालयय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—12—2016 द्वारा कम्पनी पिटीशन नम्बर 12 / 2004 में पारित आदेश दिनांक 18—4—2016 को स्थगित किया गया है । अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों को देखते हुए तथा विवाद माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने से इस न्यायालय के समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित रखी जाती है । अध्यक्ष	